

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1 : राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक	1.1.3	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	9
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	1.3.2	13
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	13
त्यक्त राजस्व	1.3.4	15
श्रम सेस	1.3.5	16
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	19
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	19
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	1.6.1	20
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	1.6.2	20
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	21
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	23
वित्तीय सहायता	1.6.5	24
व्यय की गुणवत्ता	1.7	26
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	26
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	27
चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	28
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	28
सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	28
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	29
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	30

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	1.8.4	31
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	32
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	33
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	33
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	34
हास निधि	1.9.3	35
राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)	1.9.4	35
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	36
ऋण प्रबंधन	10.1	36
ऋण की रूपरेखा	1.10.1	36
ऋण वहनीयता	1.10.2	36
राजकोषीय असंतुलन	1.11	38
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	38
अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	41
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	41
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	41
वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन	2.4	43
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	43
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	45
सतत बचत	2.4.3	46
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.4	48
विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	50
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	51
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	51
निधियों का वृहद अभ्यर्पण	2.4.8	51
व्यय का वेग	2.5	52
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	52
अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) की बजटीय प्रक्रिया	2.7	53
प्रस्तावना	2.7.1	53
बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	2.7.2	54

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट आकलन	2.7.3	54
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.4	54
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	2.7.5	55
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता	2.7.6	55
व्यय का वेग	2.7.7	56
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	2.7.8	56
अनुदान संख्या 45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की बजटीय प्रक्रिया	2.8	57
प्रस्तावना	2.8.1	57
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.8.2	58
अनुपयोगित निधि का गैर-अभ्यर्पण	2.8.3	58
संपूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग	2.8.4	59

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अध्याय 3 : वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1	61
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा	3.2	63
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	63
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.2	63
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2.3	64
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये	3.2.4	65
संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	65
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) तथा आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस के अंतर्गत संक्षिप्त आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की लेखापरीक्षा	3.4	67
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में विलंब	3.4.1	67
पूँजीगत कार्यों के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र पर निधियों का अनियमित आहरण	3.4.2	68
वित्तीय वर्ष के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध आहरण	3.4.3	68
बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.4.4	69
दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि संबंधी मामले का प्रतिवेदन	3.5	70
निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना	3.6	70
लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना	3.7	72
लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव	3.8	73
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन	3.9	74
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.10	74
राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.11	74

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग क	झारखण्ड का परिचय	77
परिशिष्ट 1.1 भाग ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	78
परिशिष्ट 1.1 भाग ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	78
परिशिष्ट 1.2	वर्ष 2017-18 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	79
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	83
परिशिष्ट 1.4 भाग क	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	87
परिशिष्ट 1.4 भाग ख	73 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण	88
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2018 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	89
परिशिष्ट 1.6	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली	91
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा	92
परिशिष्ट 2.2	उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान ठोस बचत (₹ 20 करोड़ व अधिक) हुआ	94
परिशिष्ट 2.3	₹ 1.00 करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण	97
परिशिष्ट 2.4	मार्च 2018 में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले	99
परिशिष्ट 2.5	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	104
परिशिष्ट 2.6	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	105
परिशिष्ट 2.7	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	107
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम	108
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	113
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया	114
परिशिष्ट 2.11	व्यय का वेग	115
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2018 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र	116

विषय सूची

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 3.2	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	117
परिशिष्ट 3.3	बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विवरण	120
परिशिष्ट 3.4	लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	120
परिशिष्ट 3.5	लघु-शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	121
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	122